निरीक्षण दो सेंटर की सुरक्षा निधि जप्त, ऑपरेटरों को किया आजीवन प्रतिबंधित

75 की जगह 100 रुपए लेकर बना रहे थे आधार

नवभारत,जबलपुर। आधार पंजीयन और आधार अपडेशन कराने आधार सेंटर पहुँचने वाले आम नागरिकों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने की शिकायतों पर कारवाई करते हुए जिले के दो आधार सेंटर की सुरक्षा निधि जप्त कर ली गई है तथा संबंधित आधार ऑपरेटर को आधार कार्य से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को इन आधार ऑपरेटर्स को तत्काल ब्लैक लिस्ट करने और इन पर पेनाल्टी अधिरोपित करने की अनुशंसा भी की गई है। ई-गवर्नेंस सोसायटी के जिला प्रबंधक चित्रांशु त्रिपाठी के अनुसार जिले के मझौली और पाटन जनपद पंचायत के कुछ आधार सेंटर पर आवेदकों से यूआईडीएआई द्वारा नियत शुल्क से अधिक राशि लिये जाने की शिकायतें मिली थीं। जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत ने इन शिकायतों की जांच जनपद पंचायतों के सीईओ को दिये थे। निरीक्षण में जनपद पंचायत मझौली के एक आधार सेंटर में ऑपरेटर द्वारा आवेदकों से आधार कार्ड में डेमोग्राफिक अपडेशन के लिए नियत शुल्क 75 रुपये के स्थान पर 100 रुपये लेते हुये पाया गया। इसी प्रकार जनपद पंचायत पंचायत पाटन के एक आधार केंद्र के ऑपरेटर को आवेदकों से नवीन आधार पंजीयन हेतु 100 रुपये लेते हुये पाया गया। जबकि, नया आधार पंजीयन नि:शुल्क किया जाता है।

50 हजार एवं 2 लाख रुपये राजसात करने के आदेश

ई-गवर्नेंस सोसायटी के जिला प्रबंधक ने बताया कि यूआईडीएआई की गाइडलाइन का उल्लंघन कर नियत शुल्क से अधिक राशि लेने पर दोनों आधार सेंटर की ई-गवर्नेंस सोसायटी में जमा सुरक्षा निधि क्रमश: 50 हजार रुपये एवं 2 लाख रुपये तत्काल प्रभाव से राजसात करने के आदेश दिये हैं। इसके साथ ही इन आधार सेंटरों के ऑपरेटर मुस्कान लोधी और साक्षी कोष्टा को आधार कार्य करने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है।

बेलगाम हाईवा ने बालक को कुचला, मौत

जबलपुर। खितौला थाना अंतर्गत खम्परिया तिराहे के पास बेलगाम हाईवा ने मोटर सायकिल को टक्कर मारने के बाद बालक पर हाईवा चढ़ा दिया। हादसे में घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक निखिल बर्मन पिता विनोद बर्मन 31 वर्ष निवासी वार्ड नं. 18 बरा मोहल्ला खितौला ने सूचना दी कि सोमवार रात्रि करीब 9 बजे वह खितौला बाजार सामान लेने के लिये जा रहा था कि खम्परिया तिराहे के पास मोटरसायकिल क्रमांक एमपी 20 एमयू 7617 से जा रहा था। हाईवा क्रमांक एमपी 20 जेड ई 5111 का चालक तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये मोटरसायकिल में टक्कर मार दिया। हाईवा चढ़ जाने से मौके पर बाइक सवार सचिव कोल पिता टिंकू कोल 16 वर्षीय निवासी मझगवां की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद हाइवा चालक वाहन को लेकर खितौला तिराहा तरफ भाग गया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाते हुये रिपोर्ट पर हाईवा चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आतंकी कनेक्शन का डर दिखा दम्पति को किया डिजिटल अरेस्ट

साइबर ठग ने एटीएस अधिकारी बता वीडियो कॉल कर धमकाया, बंधक बनाया

जबलपुर। आपका आतंकी कनेक्शन है, आपके नाम की सिम का उपयोग देश की गोपनीय जानकारी बाहर भेजने में हुआ है। यह बातें साइबर ठग ने स्वयं को एटीएस अधिकारी बताकर शहर में रहने वाले एक दंपत्ति को वीडियो कॉल करते हुए कहीं और वीडियो कॉल पर डराने धमकाने के साथ डिजिटल अरेस्ट किया। चार दिन तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बंधक बनाकर रखा।

पुलिस के मुताबिक बाई का बगीचा क्षेत्र में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका के मोबाइल 6 दिसम्बर 2025 को सुबह लगभग 8 बजे कॉल आया। जिसमें कॉलर ने स्वयं को एटीएस अधिकारी बताकर कहा कि आपका संबंध आतंकी अफजल खान से है और आपके नाम की सिम का उपयोग देश की गोपनीय जानकारी बाहर भेजने में हुआ है। कॉलर ने एक डाउनलोड करवाकर वीडियो कॉल पर शिक्षिका और उनके पति को डराया धमकाया। इसके बाद दम्पत्ति को निगरानी में रखा और कहा कि गलत जानकारी देने पर जेल हो सकती है एवं किसी को बताने पर उन्हें आतंकियों से खतरा है।

मनी लॉन्ड्रिंग से 70 लाख आए

कॉलर ने दम्पति से उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर व बैंक खातों, एफडी और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी मांगी। फिर यह कहकर कि आपके खाते में 70 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से 70 लाख रुपये कमीशन के रूप में आए हैं, कॉलर ने उन्हें बैंक जाकर आरटीजीएस के माध्यम से राशि ट्रांसफर करने, एफडी तुड़वाने व 10 लाख रुपये स्थानांतरित करने का दबाव डाला। हालांकि बाद में पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से होने वाले अथिक नुकसान से दम्पति को बचा लिया।

एएसपी ने कहा हम आपके पिता बोल रहे, चेहरा दिखाओ

मंगलवार को सायबर सेल जबलपुर में सूचना मिली कि दम्पति को डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेन्द्र सिंह एवं सायबर सेल से उप निरीक्षक नीरज सिंह नेगी द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुँचे। साथ ही एएसपी जितेन्द्र सिंह साइबर ठग से दंपत्ति का रिश्तेदार बनकर बात की। उन्होंने ठग को चेहरा दिखाने बोला तो वह चुप हो गया। इसके बाद ठग एएसपी से नाम पूछने लगा तो पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम आपकेक पिता जी बोल रहे है, चेहरा तो दिखाओ। इसके बाद फोन काट दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जालसाजी के व्यापक नेटवर्क की भी जांच प्रारंभ कर दी गई है।

मटमैला पानी पीने मजबूर सदर बाजार के वाशिंदे

नवभारत,जबलपुर। सदर बाजार काली मंदिर के पीछे गली नंबर 16 से लेकर गली नंबर 24 तक गंदा, बदबूदार पानी की आपूर्ति हो रही है जिसको लेकर स्थानीय लोगों में कैंट बोर्ड प्रशासन के प्रति खासी नाराजगी जाहिर की जा रही है। ये समस्या पिछले करीब 15 दिनों से क्षेत्र में बनी हुई है। चर्चाएं हैं कि सदर गली नंबर 16 से 24 तक के स्थानीय लोग अब कैंट बोर्ड प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन, हंगामा करने की तैयारी कर चुके हैं और ये आक्रोश अब कभी भी सड़क पर फूट सकता है। क्षेत्रीय रहवासी बबलू, मोनू, रवि, सुरेंद्र यादव, कपिल दुबे, साहिल सहित अन्य ने नवभारत को बताया कि सदर बाजार काली मंदिर के पीछे गली नंबर 16 से लेकर 24 तक गंदे पानी की आपूर्ति हो रही हैं। कभी पाली मटमैला आ रहा है तो कभी काला तो कभी फंगस वाला। इस पानी के उपयोग से संक्रामक बीमारियां फैलने का खतर और अधिक बढ़ गया है। विदित हो कि करीब 2 दिन पहले कैंट बोर्ड के एक पूर्व मेंबर द्वारा खुद पानी का सैंपल सीईओ राजीव कुमार को सौंपा था जिसके बाद कैंट बोर्ड प्रशासन की ओर से कुछ कर्मचारी निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचे थे। जिन्होनें कुछ स्थानों में खुदाई कराकर ये पता करने की कोशिश की कि कहीं कोई पाइप लाइन में लीकेज तो नहीं है जिस कारण काला पानी आ रहा है। लेकिन कहीं भी पानी की पाइप लाइन फूटी नहीं मिली जिसके बाद खुद कैंट बोर्ड का अमला ये सोचकर परेशान है कि ये गंदा पानी लाइन में से आ कैसे रहा है

2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी पर्यटक ट्रेन

जबलपुर, नवभारत। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा मध्यप्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में यह विशेष ट्रेन 17 जनवरी 2026 को रीवा से 02 ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन रीवा, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी, बैतूल, नागपुर एवं सेवाग्राम स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जहाँ से यात्री इस ट्रेन में सवार हो सकेंगे। 10 रात 11 दिन की इस पवित्र यात्रा में यात्रियों को तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी और श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का दर्शन कराया जाएगा।

डेंटल हाउस-कारखाना मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

33 केव्ही विद्युत लाइन की चपेट में आकर जिंदा जल गया था कर्मचारी

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत गोकलपुर डेंटल हाउस क्लिनिक के ऊपर छत पर 16 नवम्बर को 33 केव्ही विद्युत लाइन की चपेट में आने से कर्मचारी जिंदा जल गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। मर्ग जांच में खुलासा हुआ कि छत पर गुजरी बिजली से बचाव के लिए किसी प्रकार के कोई प्रबंध नहीं किए गए थे। जिसके बाद मामले में पुलिस ने डेंटल हाउस एवं कारखाना मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक गोकलपुर डेंटल हाउस क्लिनिक के ऊपर संजय यादव पिता स्व. राजू यादव 32 वर्ष निवासी खेरमाई मंदिर नई बस्ती कजरवारा गोरा बाजार का 16 नवम्बर को रात्रि 10 बजे छत में 33 केव्ही विद्युत लाईन की चपेट में आ गया था और जल गया था। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया। जिसमें यह बात सामने आई कि बिल्डिंग के सबसे ऊपर के छत वाले हिस्से पर 33 केव्ही विद्युत लाइन गुजरी है, जिस स्थान से विद्युत लाइन गुजरी है, उस जगह से विद्युत लाइन की ऊंचाई करीबन 5 फीट है। विद्युत लाइन से पहले मकान मालिक अशोक यादव के द्वारा उस स्थान पर बाउण्ड्रीवाल बनवा दिया है जिस पर एक दरवाजा लगा है एवं तीन खिड़कियां बनी हुई है। जिसमें एक खिड़की खुली हुई है। जिस पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। जिस स्थान पर खिड़की खुली है। उसी जगह से मृतक संजय यादव खिड़की से उस पर गया और विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया जिससे विद्युत करंट लगने से जलकर उसकी मौत हो गई। डेंटल हाउस के द्वितीय तल पर शिवप्रसाद पटेल उर्फ मिंटू के द्वारा उक्त मकान को किराए में लेकर सिंलाई मशीन रखकर कपड़े का कारखाना संचालित करता है। वहीं पर मृतक संजय यादव कपड़े सिंलाई का काम करता था।

ये बरती गई लापरवाही

जांच में पाया गया कि डेंटल हाउस के मालिक अशोक यादव के द्वारा छत पर गुजरी 33 केव्ही विद्युत लाइन से बचाव के लिए उचित प्रबंध नहीं किया गया एवं कपड़ा कारखाना मालिक शिवप्रसाद पटेल उर्फ मिंटू के द्वारा छत पर जाने के लिए लगा दरवाजा को बंद नहीं किया गया था, जिससे मृतक संजय यादव खिड़की के उस पार गया जिससे विद्युत लाइन के चपेट में आने से जल जाने से उसकी मौत हो गई। मकान मालिक अशोक यादव एवं कपड़े के कारखाना संचालित करने वाले शिव प्रसाद पटेल उर्फ मिंटू के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

नाले के दूषित पानी से उगाई जा रही थीं सब्जियां

नवभारत, जबलपुर। कलेक्टर राघेन्द्र सिंह और निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ मिलकर शहर के कठौंदा रिमझा और मोतीनाला के किनारे बड़े पैमाने पर हो रही अवैध सब्जी की खेती पर संयुक्त कार्यवाही की। यह कार्रवाई दूषित नाले के पानी का उपयोग करके उगाई जा रही सब्जियों के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गयी। विदित हो कि यह कार्रवाई विगत एक पखवाड़े से लगातार की जा रही है, ताकि नाले के दूषित पानी से सिंचित होने वाली सब्जियों का उत्पादन रोका जा सके और ऐसा कृत्य करने वाले के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। एकत्रित किए गए सैंपलों को आगे की विस्तृत जांच और परीक्षण के लिए उद्यानिकी विभाग की प्रयोगशाला में जमा करा दिया गया है।इस संबंध में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह एवं निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि सैंपलों की जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर ही संबंधित किसानों के खिलाफ पर्यावरण नियमों और खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अतिक्रमणों को हटाकर खाली कराया गया लेफ्ट टर्न

नवभारत, जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के कड़े निर्देश पर मंगलवार को शहर में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसने मुख्य मार्गों और व्यस्त बाजारों को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया। अभियान की शुरुआत आधारताल क्षेत्र से हुई और यह शहर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में की गयी। इस संबंध में अपर आयुक्त अरविंद शाह ने बताया कि सबसे पहले आधारताल तिराहा से मिल्क स्कीम रोड के किनारे लगे टीन शेड हटाए गए। अभियान के दौरान 2 ठेले, 3 लोहे के पलंग, कुर्सी और टेबल सहित अन्य सामान जब्त किए गए। इसी कड़ी में, ब्यौहार बाग से लेकर रजा चौक और कटरा तक भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। शास्त्री ब्रिज के पास सड़क पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाया गया। इस दौरान रोड पर गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर ही चालान काटने की कार्रवाई भी की गई। इसके अतिरिक्त, तिलवारा रोड पर निर्माणाधीन सड़क के कार्य में बाधक बन रहे अतिक्रमणों को भी हटाया गया। इस कार्रवाई में बड़ा पत्थर के मूर्तिकार का टपरा और आगा चौक करबला के पास किए गए अतिक्रमण प्रमुख रूप से शामिल थे। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से भी सभी अस्थाई अतिक्रमणों को हटाकर रास्ता साफ किया गया।निगम के अमले ने दमोह नाका से गोहलपुर थाना, अमखेरा रोड, अधारताल बिरसा मुंडा चौक बाजार और सुहागी तक व्यापक रूप से मुनादी की गयी, जिसमें लोगों को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई।

15 दुकानदारों पर लगा जुर्माना

नवभारत, जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर नगर निगम के स्वच्छता अभियान के तहत, संभाग क्रमांक 2 अंतर्गत टेलीग्राफ गेट नंबर 2 से रानीताल चौक तक विशेष कार्रवाई की गई। इस दौरान उन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए जो अपनी दुकानों के बाहर डस्टबिन नहीं रख रहे थे और खुले में गंदगी फैला रहे थे। स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 दुकानदारों को स्पॉट पर चालानी कार्रवाई कर मौके पर ही 3 हजार 6 सौ रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल किये गए। यह कार्रवाई शहर को स्वच्छ बनाए रखने और दुकानदारों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के कारण होने वाली गंदगी को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई है कार्रवाई के समय सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सचिन जैन, स्वास्थ्य निरीक्षक अमन चतुर्वेदी, और सुपरवाईजर प्रशांत, लक्ष्मण तथा वेंकी आदि उपस्थित रहे।

कौशल विकास व डिजिटल सुरक्षा पर सरकार से ठोस कदम की मांग

विधायक अभिलाष पांडे ने विधानसभा में उठाए जनहित के प्रमुख मुद्दे

नवभारत,जबलपुर। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जबलपुर उत्तर-मध्य के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने क्षेत्र के विकास और नागरिक समस्याओं से जुड़े कई अहम मुद्दों को रखा। उन्होंने युवाओं के कौशल विकास, बच्चों की डिजिटल लत, ई-रिक्शा व्यवस्था, खेल सुविधाओं और तकनीकी शिक्षा से जुड़े सवालों पर सरकार से जवाब मांगा। डॉ. पाण्डेय ने युवाओं के कौशल विकास को लेकर चिंता जताते हुए जबलपुर के लिए आगामी वर्ष में केवल 220 युवाओं के प्रशिक्षण लक्ष्य को उन्होंने अपर्याप्त बताते हुए शहर में विशेष प्रशिक्षण शिविर और रोजगार मेले आयोजित करने की मांग की। बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत पर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि देश में 10 से 14 वर्ष के 83 प्रतिशत बच्चे मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने नो गैजेट ज़ोन और जन-जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। सत्र के दौरान डॉ. पाण्डेय ने खेल, तकनीकी शिक्षा, एमपीईसेवा पोर्टल की सेवाओं, वायु प्रदूषण, खाद्य मिलावट, अव्यवस्थित ओवरहेड केबल, आवारा पशु नियंत्रण, भूमि अधिग्रहण की अनियमितताओं और प्रस्तावित फ्लाईओवर जैसे कई शहरी मुद्दों पर भी समयबद्ध कार्रवाई की मांग की।

छात्रनेता ने कोर्ट में किया सरेंडर

जबलपुर। मध्य प्रदेश छात्र संघ के जिला उपाध्यक्ष आकाश खरे से मंगलवार को जिला अदालत में सरेंडर कर दिया। इस दौरान काफी संख्या में संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने बताया कि पालिटेक्निक कालेज में विवाद को लेकर ओमती पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इस मामले में आकाश खरे पर मनमाने आरोप लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि दूसरे पक्ष के दबाव में भेदभाव किया जा रहा है। इसके बावजूद कानून का सम्मान करते हुए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया गया। अब जमानत अर्जी दायर कर रिहाई पर बल दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी राय ली जा रही है।

मप्र उच्च न्यायालय में अभी भी 4 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग

प्रत्येक जज पर लगभग 11 हजार केस का है भार

जबलपुर, नवभारत। मप्र उच्च न्यायालय में अभी भी लंबित मामलों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। बता दे कि इस साल रिकॉर्ड 15 नए जज मिलने के बाद भी अक्टूबर माह के अंत में उच्च न्यायालय में लगभग 4 लाख 82 हजार मुकदमे लंबित थे। उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इन आंकडों में कमी आएगी। उच्च न्यायालय के इतिहास में यह पहला मौका था, जब एक साल में 15 नए जज मिले। मालूम हो कि उच्च न्यायालय में जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, लेकिन अभी उच्च न्यायालय में कुल 43 जज पदस्थ हैं। अक्टूबर माह के अंत तक उच्च न्यायालय में पेंडेंसी 4 लाख 82 हजार के आसपास है। ऐसे में एक जज पर 11 हजार केसों का औसतन भार है।

जमानत अर्जियां भी लंबित

मप्र उच्च न्यायालय में इस समय जमानत अर्जियों की पेंडेंसी भी रिकॉर्ड स्तर पर है। दो हजार से अधिक जमानतों की पेंडेंसी को निपटाने फिलहाल उच्च न्यायालय में 4 जज जमानत अर्जियों पर सुनवाई कर रहे हैं। उच्च न्यायालय की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर माह के अंत तक सिविल के 2,86,498 और क्रिमिनल के 1,96,332 मामले लंबित हैं। जानकार बताते हैं कि वर्ष 2025 में 15 नए जजों की नियुक्ति से उम्मीद जगी थी कि पेंडेंसी में तेजी से कमी आएगी, लेकिन बड़ी संख्या में नए केसों के आने और पुराने केसों के निपटारे की धीमी गति होने से लंबित मुकदमों का आंकड़ा यथावत बना हुआ है।

SPARK CONVENT SCHOOL

ADMISSION OPEN 2025-2026

सम्पर्क

Branch-1: New Kanchanpur, Near Neher, Adhartal, Jabalpur MP (Nursery to 8th)

Branch-2: Vatsala Hill View, Sainik Society, Shakti Nagar, Gupteshwar, Jabalpur MP (Nursery to 5th)

Ph. 0761-4923248, Mob. 9425868370

भवन निर्माण

₹ 1500/- वर्गफुट कंस्ट्रक्शन

माड्यूलर किचिन लेटबाथ स्टील रेलिंग बिजली पानी, मटेरियल सहित, कम्पलीट वर्क

संपर्क करे कमलेश पटेल- मो.नं. 6260334877

नवभारत

आवश्यकता है

पद की योग्यता

देश के अनेक राज्यों से प्रकाशित नवभारत समाचार पत्र समूह के जबलपुर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।

एकाउंटेंट (बी.कॉम.व टेली एवं 2 वर्ष का अनुभव)

बिलिंग ऑपरेटर (एमआईएस एवं 5 वर्ष का अनुभव)

रिपोर्टर (महिला+ पुरुष) (2 वर्ष का अनुभव एवं बी.जे.सी एवं एम.जे.सी)

डीटीपी ऑपरेटर (5 वर्ष का अनुभव एवं कोरल ड्रा अनिवार्य)

रिकवरी एग्जीक्यूटिव (ग्रेजुएशन एवं 5 वर्ष का अनुभव)

संपर्क करें

कार्यालय- नवभारत प्रेस, चौथापुल, महर्षि स्कूल के सामने, जबलपुर (दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक)

9752721239, 8305852507

hr.navabharat1934@gmail.com